


तीजा व अन्त (फाट लेने, चोपपर) राज. लष्कर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अटकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

023 R.1(3) CPC व आ.पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। वकील अप्रथी द्वारा प्रति प्राप्त की गई। पत्रावली वारंतेडमित आदेश हेतु आयंदा दिनांक 25/8/25 को पेश हो।

26/8/25 कल स्थानीय अवकाश होने से फावली आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से फावली आयंदा दिनांक 27/08/25 को पेश हो।



B/O

27/8/25 फावली पेश हुई व कुलाम उपन। वकील अप्रथी हाल आ.पत्र अन्तर्गत 023 R.1(3) CPC प्रस्तुत कर यह कचन किया गया कि अधीनगी की ओर लें वरि अवकाश चोपका, खातेपोर, रेड्डे डुकाली स्व ल्यार विषेयाना का पेश किया है किन्तु लाम में आ.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। अधीनगी इत लत्र पर आ.पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.7A/1955 का अधीनगी की शक्ति के अलग अलग शक्ति का कचन नहीं होने के कारण नुर्दि के कारण विद्वो/वापत ले रहा है। अतः अप्रथी का अधीनगी-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रथी का अधीनगी-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.7A/1955 प्रतः प्रस्तुत करने की

